FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अपील दर्ज रजिस्टर
15.1.20

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राकेश कुमार अग्रवाल —बनाम— श्रीमती निरोज बाई वगैरह
पुत्र राजेन्द्र कुमार वगैरह — बाद व अन्य

किस्म मुकदमा — मु.ग्राम विजय नगर — नम्बर 04 — सन् 20 20 (अजमेर)
225 आर.टी. एक्ट
2020/00004

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
15.1.20	यह अपील श्री एन.एस.राजावत एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 17.12.2019, प्रकरण संख्या 69/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 65/2019 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता सख्या 577 के वर्किंग खसरा नम्बर 1191 रकबा 04-15-00 बीघा भूमि जिसके की वर्तमान खसरा नम्बर 3398 मिन रकबा 0.77 है. कायम किये गये है जो भूमि संयुक्त खातेदारी मे होकर अपीलांट का अविभाजित अर्थात रकबा 01-01-17 बीघा भूमि निहित करता है। जिस भूमि का आजतक किसी प्रकार से कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है परन्तु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं उसके पंजीकृत मुख्त्यारआम अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा बिना किसी हक अधिकार के अविभाजित भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर विक्रय किय जाने पर आमादा है। जिस सम्बन्ध मे अपीलांट/प्रार्थी द्वारा भूखण्डो का नक्शा प्लान एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2019 की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 151 जा.दी. के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से सुना जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचानों एवं मौखिक बहस के बाबत् किसी प्रकार का विवेचन व विश्लेषण किय बिना आदेश दिनांक 17.12.2019 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं । अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सख्या 01से 03 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्तय की भूमि के विशेष भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन कराये निर्माण, परिवर्तन, बेचान इत्यादि किये जाने पर आमादा है। जिन्हे तुरन्त प्रभाव से अविधिक कृत्य किये जाने से निरोधित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा मूल वाद एवं वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त हो जावेगा। इस कारण प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट का अविभाजित अर्थात रकबा 01-01-17 बीघा भूमि निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं कानून, न्याय व समानता प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान करती है।न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माकड़वाली स्थित वर्किंग खसरा नम्बर 1191 एवं वर्तमान खसरा	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री

नम्बर 3398 मिन में से रकबा 01–01–17 बीघा भूमि जो कि प्रार्थी के हक अधिकार की है की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किय जाने के आदेश प्रदान करावे।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.09.2019 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिक में अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 27.12.2019 निर्धारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेशिका दिनांक 17.12.2019 से यह स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसकी अपील धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् की जा सकती हों। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र नोटिस जारी कर आयन्दा तारीख पेशी नियत की गई है। अब्दुल रज्जाक बनाम शूरवीर सिंह 1979 आर.आर.ड़ी. पेज 175 में माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि "कारण बताओं नोटिस के रूप में यदि कोई अन्तरिम आज्ञा धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पारित की गई है तो वह आज्ञा अपील के काबिल नही है।"

उपरोक्त विवेचन के अनुसार एवं न्यायिक दृष्टोत के मध्यनजर जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार को कोई प्रभावी आदेश ही पारित नही किया गया है तो ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को संधारण योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट पोषणीयता के अभाव में बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर